



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(धीठारीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-48/2021

दर्ज तिथि:-12.08.2021

1. हेमराम पुत्र पुरखाराम
जाति जाट निवासी बुढे का तला,भलीसर तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
.....वादी
बनाम
1. दलाराम पुत्र कंवराराम
2. पेमाराम पुत्र पदमाराम
3. अचलाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी बूढे का तला,भलीसर,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
4. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा भूणिया
5. प्रबन्धक,भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना
6. तहसीलदार धोरीमन्ना
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री देवाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-27.06.2025


1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 509/17.7738 है0, 514/0.0243 है0, 515/0.0324 है0, 516/36.0979 है0, वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बंधन में आने पर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर तहसील में बंधन बैय

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

मुत्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण 1 से 2 वाद तामिल असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया। पत्रावली में वकुलाय सहमति होने पर साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया दावा तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउण्टर क्लैम को स्वीकार करते हुए बंटवार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 03.01.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1160 दिनांक 08.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/1160 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/ गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ./2025/नोटिस/519-529 दिनांक 17.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। समस्त वादी एवं प्रतिवादी पक्षकार द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गए।</p>


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

3. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण वकूलाय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070-2073 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 509/17.7738 है0, 514/0.0243 है0, 515/0.0324 है0, 516/36.0979 है0, वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।


4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 509/17.7738 है0, 514/0.0243 है0, 515/0.0324 है0, 516/36.0979 है0, वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
मोहनलाल पुत्र हेमाराम रुखमणाराम पुत्र हेमाराम रुखमणी पत्नी हेमाराम चौखाराम पुत्र हेमाराम कुम्पाराम पुत्र हेमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	5/24	516	5.9058	बा.सो.	1.77	हरा
	5/24	509	2.9056		0.87	
	1/7				2.64	
	5/24	2	8.8114			
	5/24					
अचला पुत्र सोना कौम जाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी		509	2.9056	बा.सो.	0.87	लाल
		516	5.8815	बा.सो.	1.76	
		514	0.0243	गै.मु.ढा.		
		3	8.8114	बा.सो.	2.63	
दला वल्द कंवरा कौम जाट सा.देह. खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी		509	5.8113	बा.सो.	1.74	पीला
		516	9.3886	बा.सो.	2.82	
		514	2.4229	बा.सो.	0.73	
		3	17.6228		5.29	
पेमा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी		509	5.8113	बा.सो.	1.74	गुलाबी
		516	4.6619	बा.सो.	1.40	
		516	4.6943	बा.सो.	1.40	
		516	2.4229	बा.सो.	0.73	
		515	0.0324	गै.मु.ढा.	—	
		5	17.6228		5.27	
राजस्थान सरकार		516	0.3600	गै.मु.रा.	—	काला
		516	0.3600	गै.मु.रा.	—	
		509	0.3400	गै.मु.रा.	—	
		3	1.0600	गै.मु.रा.	—	

हेमाराम बनाम दलाराम

2021/128

निर्णय दिनांक:-27.06.2025

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।



नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर
घोरीमन्ना-बोडमैराना



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी - भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-48 / 2021

दर्ज तिथि:-12.08.2021

1. हेमाराम पुत्र पुरखाराम
जाति जाट निवासी बूढे का तला,भलीसर तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
.....वादी
बनाम
1. दलाराम पुत्र कंवराराम
2. पेमाराम पुत्र पदमाराम
3. अचलाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी बूढे का तला,भलीसर,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
4. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा भूणिया
5. प्रबन्धक,भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना
6. तहसीलदार धोरीमन्ना
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता


वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्णोई

प्रतिवादीगण:-श्री देवाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 509/17.7738 है0, 514/0.0243 है0, 515/0.0324 है0, 516/36.0979 है0, वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खातेदार	हिरसा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
मोहनलाल पुत्र हेमाराम	5/24	516	5.9058	बा.सो.	1.77	हरा
रुखमणाराम पुत्र हेमाराम	5/24	509	2.9056		0.87	
रुखमणी पत्नी हेमाराम	1/7				2.64	
चौखाराम पुत्र हेमाराम	5/24					
कुम्पाराम पुत्र हेमाराम	5/24	2	8.8114			
कौम जाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी						
अचला पुत्र सोना कौम जाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी		509	2.9056	बा.सो.	0.87	लाल
		516	5.8815	बा.सो.	1.76	
		514	0.0243	गै.मु.ढा.		
		3	8.8114	बा.सो.	2.63	
दला वल्द कंवरा कौम जाट सा.देह. खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी		509	5.8113	बा.सो.	1.74	पीला
		516	9.3886	बा.सो.	2.82	
		514	2.4229	बा.सो.	0.73	
		3	17.6228		5.29	
पेमा पुत्र पदमा कौम जाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी		509	5.8113	बा.सो.	1.74	गुलाबी
		516	4.6619	बा.सो.	1.40	
		516	4.6943	बा.सो.	1.40	
		516	2.4229	बा.सो.	0.73	
		515	0.0324	गै.मु.ढा.	-	
		5	17.6228		5.27	
राजस्थान सरकार		516	0.3600	गै.मु.रा.	-	काला
		516	0.3600	गै.मु.रा.	-	
		509	0.3400	गै.मु.रा.	-	



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना-बाड़मेर